केंद्र ने CAA के तहत नागरिकता प्रदान की

[स्रोत: द हिंदू](#)

[केंद्र सरकार](#) ने [नागरिकता (संशोधन) अधिनियम [Citizenship (Amendment) Act- CAA], 2019](#) के तहत आवेदन करने वाले 300 से अधिक लोगों को नागरिकता प्रमाण-पत्र प्रदान किये हैं।

- [नागरिकता संशोधन नियम, 2024](#) को **गृह मंत्रालय** द्वारा 11 मार्च, 2024 को अधिसूचित किया गया था, जिसने दिसंबर, 2019 में [संसद](#) द्वारा पारित होने के 4 वर्ष पश्चात् **CAA** के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त किया।
- CAA **3 पड़ोसी देशों (अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान)** के **6 गैर-मुस्लिम समुदायों** (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई) के **प्रवासियों (गैर-दस्तावेज़)** को नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने **31 दिसंबर, 2014** को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था।
- **धारा 6B** (2019 के CAA द्वारा [1955 के नागरिकता अधिनियम](#) में प्रस्तुत) उल्लिखित 3 पड़ोसी देशों के प्रवासियों के लिये देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की एक विशिष्ट प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करती है।
    - इसने नागरिकता हेतु अर्हता प्राप्त करने की अवधि को मौजूदा **11 वर्ष** से घटाकर **5 वर्ष** कर दिया।
    - इस अधिनियम में कहा गया है कि ऐसे अल्पसंख्यकों को **"अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा"** तथा उन्हें [पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920](#) एवं [विदेशी अधिनियम, 1946](#) की **धारा 3 के तहत दंडनीय धाराओं से छूट दी जाएगी।**
        - **धारा 6B** की प्रविष्टि से ऐसे प्रवासियों को **पंजीकरण** और **देशीयकरण** के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति मिलती है।

//

और पढ़ें: [नागरिकता संशोधन अधिनियम: अनपैक्ड](#), [केंद्र ने CAA कार्यान्वयन के लिये नियमों को अधिसूचित किया](#), [नागरिकता (संशोधन)](#)

[अधिनियम, 2019](#)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/centre-granted-citizenship-under-caa